भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3307

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**राजनीति को अपराध मुक्त किया जाना**

**3307. श्री मो॰ नदीमुल हक :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीति को अपराध मुक्त किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चुनावी सुधार लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या विधि आयोग को इस संदर्भ में ठोस सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है, यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** निर्वाचन सुधार के मुद्दे को इसकी संपूर्णता, में भारत के विधि आयोग को वर्ष 2013 में निर्दिष्ट किया गया था । पूर्व की विभिन्न रिपोर्टों तथा विभिन्न पणधारियों, जिसमें निर्वाचन आयोग भी सम्मिलित है, के परामर्श पर विचार करने के पश्चात विधि आयोग ने इस सिफारिश के साथ अपनी 244वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि कोई व्यक्ति कतिपय अन्य दशाओं के अधीन, विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए उसके विरुद्ध आरोपों की विरचान होने पर विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हित हो जाएगा । मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*